मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-8

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 15 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 24, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, डॉ. कल्पना परुलेकर, सदस्यगण द्वारा आसंदी का ध्यान आकर्षित किया गया कि आज की प्रश्नोत्तरी में कई उत्तरों में "जानकारी एकत्रित की जा रही है" लिखा है, जबकि माननीय सदस्यों ने 21 दिन पूर्व प्रश्न दिये थे। पृथकतः वितरित उत्तर, प्रश्नकाल से केवल 15 मिनट पूर्व प्राप्त होने से माननीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्नों की तैयारी का समय नहीं मिलता है। श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने सभी प्रश्नों के उत्तर देने की बात कही। अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि माननीय सदस्यों की भावना एवं प्रश्नों की महत्ता को दृष्टिगत रखकर शासन यह सुनिश्चित करे कि प्रश्नों के उत्तर व्यवस्थित रूप से 4 दिन पूर्व यहां प्राप्त हों, जिससे उन्हें पृथकतः रूप में वितरित न करके, प्रश्नोत्तर सूची में प्रकाशित कराया जा सके।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 22 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 80 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 95 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री रामलखन सिंह, सदस्य ने प्रदेश के छात्रों को निवास प्रमाण-पत्र बनवाने में कठिनाई होने,
(2) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद के ग्राम मोहला में खदान धंसकने से 3 व्यक्तियों की मौत होने,
(3) श्री विश्वास सारंग, सदस्य ने सिंगरौली में वृहद् उद्योगों के अधिग्रहित भूमि स्वामियों की भूमि हथियाने,
(4) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ के किसानों के गेहूं का सही दाम न मिलने,
(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने मंदसौर के वन अभयारण्य क्षेत्र ग्रामों में नीलगायों द्वारा फसलें नष्ट करने,
(6) श्री राजकुमार उरमलिया, सदस्य ने सतना के ग्राम गिरगिटा की भूमि को सीमेंट फैक्ट्री द्वारा खरीदे जाने,
(7) श्री अजय अर्जुन सिंह, सदस्य ने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा निजी विद्यालयों को मान्यता न देने,
(8) श्री ध्रुव नारायण सिंह, सदस्य ने भोपाल में यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था ठीक न होने से दुर्घटनाएं होने,
(9) राव देशराज सिंह यादव, सदस्य ने करीला के जानकी माता मंदिर में पेयजल समस्या होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा एवं आरिफ अकील, सदस्य ने श्योपुर जिले के अनेक ग्रामों में शिक्षा सुविधा का अभाव होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री राधेलाल बघेल एवं रामलखन सिंह, सदस्य ने दतिया एवं ग्वालियर जिले में प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डारों एवं सहकारी समितियों द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी होने की ओर राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पारस जैन, राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

5. प्रश्न के उत्तर में संशोधन सम्बन्धी राज्यमंत्री, श्रम का वक्तव्य

श्री करण सिंह वर्मा, राज्यमंत्री श्रम ने दिनांक 8 जुलाई, 2009 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्रमांक 95) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

6. वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

(1) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या - 1	सामान्य प्रशासन के लिए एक सौ सत्ताईस करोड़, अड़तीस लाख, चौरासी हजार रुपये;
अनुदान संख्या - 2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए अट्ठाइस करोड़, अट्ठाइस लाख, इक्यावन हजार रुपये;
अनुदान संख्या - 48	नर्मदा घाटी विकास विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए चार सौ नब्बे करोड़, उनसठ लाख, दो हजार रुपये तथा
अनुदान संख्या - 65	विमानन के लिए बारह करोड़, उनचास लाख, तैंतीस हजार रुपये.

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 1	1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17
मांग संख्या - 2	1, 2, 3
मांग संख्या - 48	2, 4
मांग संख्या - 65	1, 2, 3

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(2) श्री मोती कश्यप
(3) श्री आरिफ अकील
(4) श्री पारस सकलेचा
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) श्री रामप्यारे कुलस्ते

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(7) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(8) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(9) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(10) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(11) श्री रामलखन सिंह
(12) श्री बालाराम बच्चन
(13) पं. लक्ष्मण तिवारी

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(14) डॉ. कल्पना परूलेकर
(15) श्री देवेन्द्र वर्मा
(16) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(17) श्री आत्माराम पटेल
(18) श्री विश्वामित्र पाठक
(19) श्री गिरिराज किशोर पोद्दार
(20) श्री नरेन्द्र त्रिपाठी
(21) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार

श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या - 22	नगरीय प्रशासन एवं विकास -नगरीय निकाय के लिए दो सौ इकसठ करोड़, इक्कीस लाख, अट्ठावन हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 53	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए अड़सठ करोड़, पचहत्तर लाख, इकहत्तर हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए अठारह करोड़, पचासी लाख, बयालीस हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के लिए बत्तीस करोड़, अठारह लाख, अस्सी हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए सत्रह सौ तैतालीस करोड़, सत्ताईस लाख, सतावन हजार रूपये.

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 22	1,3,6,7,10,11,14,16
मांग संख्या - 53	1,2
मांग संख्या - 68	1
मांग संख्या - 72	1
मांग संख्या - 75	3,4,5

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता
(3) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(4) श्री ओमप्रकाश सकलेचा
(5) श्री लखन घनघोरिया
(6) श्री शंकरलाल तिवारी
(7) श्री राजकुमार उरमलिया
(8) श्रीमती साधना स्थापक
(9) श्री केदारनाथ शुक्ल
(10) श्री आरिफ अकील
(11) श्री लक्ष्मण तिवारी
(12) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(13) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर

(14) श्री राधेलाल बघेल

(15) श्री पारस सकलेचा

(16) श्री श्रीकांत दुबे

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या - 6	वित्त के लिए बत्तीस सौ बारह करोड़, तेईस लाख, इक्यासी हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 7	वाणिज्यिक कर के लिए छह सौ तैतीस करोड़, इकतीस लाख, सतानवे हजार;
अनुदान संख्या - 31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी के लिए चौतीस करोड़, पचासी लाख, चौवन हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 38	रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय के लिए -
अनुदान संख्या - 50	बीस सूत्र कार्यान्वयन के लिए दो करोड़, छब्बीस लाख, चार हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए एक सौ पन्द्रह करोड़, छियासी लाख, सड़सठ हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 74	वित्त विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए एक हजार रूपये;

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 6	5, 6, 7, 8
मांग संख्या - 7	4, 8, 9, 10
मांग संख्या - 31	1, 2
मांग संख्या - 38	2, 3
मांग संख्या - 50	1
मांग संख्या - 60	2
मांग संख्या - 74	1

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या - 21	आवास एवं पर्यावरण के लिए एक सौ एक करोड़, उन्नीस लाख, उनसठ हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 23	जल संसाधन के लिए पांच सौ अड़तालीस करोड़, सत्तावन लाख, उनासी हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट के लिए तेरह करोड़, चौतीस लाख, उनतालीस हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए दो सौ छप्पन करोड़, चौरासी लाख, आठ हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए दो सौ तैतीस करोड़, तेहत्तर लाख, पैंतीस हजार रूपये.

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 21	1, 3, 4, 5,
मांग संख्या - 23	5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 19
मांग संख्या - 40	2
मांग संख्या - 45	4, 5
मांग संख्या - 57	1, 2

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि मांगों और कटौती प्रस्तावों पर कल चर्चा कराई जायेगी।

7. माननीय सदस्यों हेतु बजटीय प्रक्रिया का प्रशिक्षण कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि नव निर्वाचित माननीय सदस्यों हेतु दिनांक 16 जुलाई, 2009 को प्रात: 9.00 बजे से बजटीय प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑडीटोरियम हॉल में रखा गया है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे उपस्थित होने का कष्ट करें।

अपराह्न 6. 52 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 16 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 25, 1931) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.